

अभय पक्ष उपस्थित/अभिभाषक सच ने  
न्यायिक कार्य स्थगित रखा/ PO साहब  
अन्य प्रशासनिक कार्य ...  
पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 24.4.24 को पेश हो।

(रीडर)

पत्रावली पेश हुई। पक्षीय पक्षी उपस्थित।  
साक्ष्य पक्षी के गवाह धीरे-धीरे उपस्थित।  
पक्षीय पक्षी के शेष-पत्र पेश हुए, उधर  
कमरु उठे जाते कपड़े काट-पत्र के कठिने  
तथ्यों को जांचित करते हुए पत्रावली उठे  
जाये हेतु निर्दिष्ट किया।

सुन गुरु। पत्रावली पत्रावली को पेश की

सहायक कलेक्टर

श्रावपुरा (जिला-जयपुर) राज

पत्रावली पेश हुई। पक्षीय पक्षी पत्र  
गमन किया गया। पत्रावली पत्रावली का  
अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरोक्त पक्षी  
अपना दावा साबित करने के सफल दावा गया।  
अपना दावा उठे जाते हैं। निर्णय सुनते  
से लिखा जाते सुनाते गया। निर्णय साबित  
पत्रावली से। पत्रावली निर्णय सुनते कथ  
दाखिल किया है।

सहायक कलेक्टर

1  
न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट - ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी  
वाद संख्या

- श्री संजीव कुमार खेवर, आर. ए. एस.  
- 135/2024

शीर्षक

1. धोतरखल

2. बंशीधर यादव

पुत्रान रामनाथ

सम्बन्धित वधस्वक जातिधान अहीर निवासी ग्राम उदावाला, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

-वादीगण

बनाम


1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार-शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

-प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक दुरुस्त इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 7/5/2025

वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल खसरा नं0 2338 रकबा 0.28 है0, 2339 रकबा 0.25 है0, 2340 रकबा 0.26 है0, 2341 रकबा 0.20 है0, 2344 रकबा 0.23 है0, 2345 रकबा 0.22 है0, 2364 रकबा 0.12 है0, 3204 रकबा 0.02 है0, 3205 रकबा 0.24 है0, 3206 रकबा 0.29 है0, 3207 रकबा 0.20 है0, 3208 रकबा 0.22 है0, 3209 रकबा 0.17 है0, 3210 रकबा 0.17 है0, कित्ता 14 कुल रकबा 2.87 है0 वाकै ग्राम उदावाला तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज. में स्थित है जिसकी 1/4 हिस्से की खातेदारी राजस्व अभिलेख हाल जमाबंदी में रामलाल पुत्र जीवन के नाम दर्ज है। इस भूमि को आगे वाद पत्र में विवादित भूमि के रूप में सम्बोधित किया जा रहा है। रामलाल पुत्र जीवन के हिस्से के अलावा शेष भूमि अन्य खातेदारों के नाम दर्ज है, जिनके विरुद्ध वादीगण ने किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा है इस कारण पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। विवादित भूमि की हाल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। यहकि वाद पत्र के जिमन नं. 1 में वर्णित भूमि मिलान क्षेत्रफल के अनुसार निम्न साबिक खसरा नंबरों से बने है :-

  
सहायक कलक्टर  
(जिला-जयपुर) राज.



1	2338	1501
2	2339	1501
3	2340	1505
4	2341	1502
5	2344	1505
6	2345	1506
7	2364	1508
8	3204	1508
9	3205	1508
10	3206	3245 व 3246
11	3207	1500
12	3208	1500
13	3209	3247
14	3210	3247
कुल किता 14 कुल रकबा 2.87 है०		

साबिक खसरा नंबर 1500, 1501, 1502, 1505, 1506, 1508, 3245, 3246, 3247 की खातेदारी चौथू बाल्या पुत्र हरदेव हिस्सा 1/2, रामनाथ पुत्र जीवन हिस्सा 1/4, सुज्या पुत्र नानू हिस्सा 1/4 के नाम रही है खतौनी बन्दोबस्त जमाबंदी सम्वत 2008 लगायत 2027 संलग्न वाद पत्र पेश है। जमाबंदी (खेवट खतौनी) सम्वत 2027 मे भी उपर्युक्तानुसार 1/4 हिस्से की खातेदारी रामनाथ पुत्र जीवन के नाम दर्ज है। यहकि साबिक जमाबंदी मे दर्ज खातेदार रामनाथ पुत्र जीवन वादीगण के पिता है जिनकी दिनांक 16.03.1996 को मृत्यु हो चुकी है वादीगण की माता अर्थात रामनाथ की पत्नी का नाम पांची देवी था जिसकी भी मृत्यु दिनांक 06.10.2020 को हो चुकी है। रामनाथ के वादीगण की एक मात्र विधिक वारिसान है। वादीगण रामनाथ के विधिक प्रतिनिधि होने के कारण उसकी सम्पति के संबंध मे विधिक कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है। यहकि हाल सेटलमेन्ट (बन्दोबस्त) की कार्यवही मे भू प्रबंध अधिकारियो ने राजस्व अभिलेख मे विवादित भूमि की दर्ज खातेदारी रामनाथ के स्थान पर रामलाल अर्थात नाथ के स्थान पर लाल दर्ज कर दिया। भू प्रबंध अधिकारियो ने बिना विधिक अधिकार के राजस्व अभिलेख मे रामनाथ के स्थान पर रामलाल अंकित कर त्रुटि कारित की है। भू प्रबंध अधिकारियो को खातेदारो के नाम मे परिवर्तन करने

  
सहायक कलेक्टर  
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

का अधिकार प्राप्त नहीं था। भू प्रबंधक अधिकारियों ने राजस्व अभिलेख में सही तरीके से दर्ज रामनाथ के नाम को गलत तरीके से राम लाल के रूप में दर्ज करने में गलती कारित की है। भू प्रबंध अधिकारियों द्वारा कारित त्रुटिपूर्ण इन्द्राज राजस्व अभिलेख जमाबंदी आधार वर्ष सम्वत् 2042 में हाल आराजी खसरा नंबर 2338, 2339, 2340, 2341, 2345, 2364, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210 किता 14 कुल रकबा 2.87 हैक्ट में वादी के पिता रामनाथ के स्थान पर रामलाल पिता जीवन दर्ज है जो गलत है, काबिले दुरुस्त है। यहकि हाल आराजी खसरा नंबर 2338, 2339, 2340, 2341, 2344, 2345, 2364, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210 किता 14 कुल रकबा 2 87 हैक्ट. वाकै ग्राम उदावाला तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के हिस्से 1/4 पर वादीगण के पिता रामनाथ पुत्र जीवन काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। वादीगण अपने पिता के साथ उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते रहे हैं। रामनाथ की मृत्यु हो जाने पर उक्त विवादित भूमि पर वादीगण काबिज होकर काश्त करते रहे हैं वर्तमान में भी वादीगण अपने 1/4 हिस्से पर काबिज काश्त है। यहकि हाल सैटलमेन्ट में भू प्रबंध अधिकारियों द्वारा राजस्व अभिलेख में बिना विधिक अधिकार के रामनाथ के स्थान रामलाल अंकित किया है रामलाल पुत्र जीवन नाम का व्यक्ति ग्राम उदावाला में कभी भी नहीं रहा है। दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण के पिता का नाम रामनाथ पुत्र जीवन होना साबित है। तथा उसकी मृत्यु हो जाने के कारण वादीगण उसके विधिक वारिसान होने के कारण हाल आराजी खसरा नंबर 2338, 2339, 2340, 2341, 2344, 2345, 2364, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210 किता 14 कुल रकबा 2.87 हैक्ट. वाकै ग्राम उदावाला तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के राजस्व अभिलेख में रामलाल पुत्र जीवन हिस्सा 1/4 का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। यहकि वाद कारण करीब एक सप्ताह पूर्व वादीगण ने प्रतिवादी को राजस्व अभिलेख में वादीगण के पिता रामनाथ का नाम दुरुस्त करने का निवेदन करने पर प्रतिवादी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया एवं न्यायालय में वाद पत्र पेश करने को कहा जिससे वादीगण को वाद कारण उत्पन्न हुआ एवं वाद पत्र न्यायालय में पेश करना लाजमी हुआ है।

अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 2338 रकबा 0.28 है०, 2339 रकबा 0.25 है०, 2340 रकबा 0.26 है०, 2341 रकबा 0.20 है० 2344 रकबा 0.23 है० 2345 रकबा 0.22 है० 2364 रकबा 0.12 है० 3204 रकबा 0.02 है० 3205 रकबा 0.24 है० 3206 रकबा 0.29 है० 3207 रकबा 0.20 है० 3208 रकबा 0.22 है० 3209 रकबा 0.17 है० 3210 रकबा 0.17 है० किता 14 कुल रकबा 2.87 है० वाकै ग्राम उदावाला तह० शाहपुरा जिला जयपुर में राजस्व अभिलेख जमाबंदी में दर्ज रामलाल



**सहायक कमिश्नर**  
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.


पुत्र जीवन हिस्सा 1/4 का नाम हजक दिया जाकर इसके स्थान पर वादीगण को बहिस्सा बराबर कर अर्थात् छीतरमल पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/8, व बंशीधर यादव पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/8 जाति अहीर (यादव) को खातेदार घोषित किया जाकर एवं इसका अमल दरामद राजस्व अभिलेख जमाबंदी में किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 (तहसीलदार शाहपुरा) को जवाब हेतु पत्रांक/कोर्ट/2024/326 दिनांक 04.12.2024 के द्वारा पत्र प्रेषित किया गया। तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/रीडर/2024/2142 दिनांक 17.12.2024 के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार शाहपुरा ने अपने जवाब में राजस्व रिकॉर्ड की हद तक वाद पत्र के तथ्यों को स्वीकार किया है। प्रकरण में वकील वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्यवादी में शपथ-पत्र पेश किया एवं दस्तावेजात पर प्रदर्श कायम किये गये, जो निम्न प्रकार है :- प्रदर्श संख्या - 1 ( जमाबंदी संवत् 2074-2077), प्रदर्श संख्या - 2 (मिलान क्षेत्रफल), प्रदर्श संख्या - 3 (खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2008-2027), प्रदर्श संख्या - 4 (जमाबंदी खेवट खतौनी संवत् 2027), प्रदर्श संख्या - 5 (खतौनी संवत् 2042), प्रदर्श संख्या - 6 ( रामनाथ यादव का मृत्यु प्रमाण-पत्र), प्रदर्श संख्या - 7 (पांची देवी पत्नी रामनाथ का आधार कार्ड), प्रदर्श संख्या - 8 (पांची देवी का जनआधार कार्ड), प्रदर्श संख्या - 9 (पांची देवी रामनाथ यादव का मृत्यु प्रमाण पत्र)।



वकील वादी ने अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को जाहिर करते हुए साक्ष्य शपथ पत्र एवं दस्तावेजात व प्रदर्श का अवलोकन करवाते हुए अपने वाद पत्र की तथ्यों की एवं हाल आराजी खसरा नम्बर 2338 रकबा 0.28 है0, 2339 रकबा 0.25 है0, 2340 रकबा 0.26 है0, 2341 रकबा 0.20 है0 2344 रकबा 0.23 है0 2345 रकबा 0.22 है0 2364 रकबा 0.12 है0 3204 रकबा 0.02 है0 3205 रकबा 0.24 है0 3206 रकबा 0.29 है0 3207 रकबा 0.20 है0 3208 रकबा 0.22 है0 3209 रकबा 0.17 है0 3210 रकबा 0.17 है0 किता 14 कुल रकबा 2.87 है0 वाकै ग्राम उदावाला तह0 शाहपुरा जिला जयपुर मे राजस्व अभिलेख जमाबंदी में दर्ज रामलाल पुत्र जीवन हिस्सा 1/4 का नाम हजक दिया जाकर इसके स्थान पर वादीगण को बहिस्सा बराबर कर अर्थात् छीतरमल पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/8, व बंशीधर यादव पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/8 जाति अहीर (यादव) को खातेदार घोषित किया जाकर एवं इसका अमल दरामद राजस्व अभिलेख जमाबंदी में किया जाने बाबत् निवेदन किया।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया । पत्रावली, शपथ-पत्र, दस्तावेजात् एवं प्रदर्श संख्या 1 लगायत 9 का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत जाहिर होता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 2338 रकबा 0.28 है0, 2339 रकबा 0.25 है0, 2340 रकबा 0.26 है0, 2341 रकबा 0.20 है0 2344 रकबा 0.23 है0

  
**सहायक कलक्टर**  
 शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.


2345 रकबा 0.22 है0 2364 रकबा 0.12 है0 3204 रकबा 0.02 है0 3205 रकबा 0.24 है0 3206 रकबा 0.29 है0 3207 रकबा 0.20 है0 3208 रकबा 0.22 है0 3209 रकबा 0.17 है0 3210 रकबा 0.17 है0 किता 14 कुल रकबा 2.87 है0 वाकै ग्राम उदावाला तह0 शाहपुरा जिला जयपुर की जमाबंदी में वादीगण के पिता का नाम रामलाल पुत्र जीवन का नाम दर्ज है एवं 1/4 हिस्से की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है एवं प्रदर्श संख्या 3 व 4 के अवलोकन से जाहिर है कि रामनाथ पुत्र जीवन हिस्सा 1/4 जमाबंदी संवत 2008-2027 , संवत 2027 में दर्ज रहा है परन्तु प्रदर्श संख्या 5 में रामनाथ पुत्र जीवन के बजाय रामलाल पुत्र जीवन दर्ज रहा है, जो कि भू-प्रबंध अधिकारियों द्वारा संवहन से अंकित किया जाना प्रतित होता है। प्रदर्श संख्या 6 लगायत 9 में भी वादीगण के पिता का नाम रामनाथ अंकित है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार रामनाथ पुत्र जीवन वादीगण के पिता है जिनकी दिनांक 16.03.1996 को मृत्यु हो चुकी है। वादीगण की माता अर्थात रामनाथ की पत्नी का नाम पांची देवी था जिसकी भी मृत्यु दिनांक 06.10.2020 को हो चुकी है। वादीगण , रामनाथ के एकमात्र विधिक वारिसान है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, साक्ष्य शपथ-पत्र, प्रदर्श वाद-पत्र की ताईद करने में साफल रहे है। इस प्रकार वकील वादी की बहस तथा वकील वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवम प्रदर्श, एवं साक्ष्य वादी के शपथ पत्रों के अवलोकन से भी यही जाहिर किये जाने से वादी द्वारा प्रस्तुत दावा डिकी किया जाना उचित समझते है।



**आदेश**

अतः दावा वाद-पत्र में उपलब्ध दस्तावेजात, प्रदर्श , साक्ष्य शपथ-पत्र के आधार पर वादी के हक में डिकी किया जाता है कि हाल खाता संख्या 204 के आराजी खसरा नंबर हाल आराजी खसरा नम्बर 2338 रकबा 0.28 है0, 2339 रकबा 0.25 है0, 2340 रकबा 0.26 है0, 2341 रकबा 0.20 है0 2344 रकबा 0.23 है0 2345 रकबा 0.22 है0 2364 रकबा 0.12 है0 3204 रकबा 0.02 है0 3205 रकबा 0.24 है0 3206 रकबा 0.29 है0 3207 रकबा 0.20 है0 3208 रकबा 0.22 है0 3209 रकबा 0.17 है0 3210 रकबा 0.17 है0 किता 14 कुल रकबा 2.87 है0 वाकै ग्राम उदावाला तह0 शाहपुरा जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में रामलाल पुत्र जीवन हिस्सा 1/4 का नाम हजफ किया जाकर इसके स्थान पर वादीगण को बहिस्सा बराबर कर अर्थात छीतरमल पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/8 एवं बंशीधर यादव पुत्र रामनाथ हिस्सा

  
**सहायक कलक्टर**  
 शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

1/8 जाति अहीर (यादव) को खातेदार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 7/5/25 को सरै इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



(संजीव कुमार खेदर, आर.ए.एस.)  
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)  
शाहपुरा, जिला जयपुर  
सहायक कलेक्टर  
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट - ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी  
वाद संख्या

:- श्री संजीव कुमार खेदर, आर. ए. एस.  
:- 135/2024

शीर्षक



1. छीतरमल  
2. बंशीधर यादव } पुत्रान रामनाथ

समस्त वयस्क जातियान अहीर निवासी ग्राम उदावाला, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

-वादीगण

बनाम


1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार-शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

-प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक दुरुस्ति इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 7.5.25

अतः दावा वाद-पत्र में उपलब्ध दस्तावेजात, प्रदर्श , साक्ष्य शपथ-पत्र के आधार पर वादी के हक में डिक्री किया जाता है कि हाल खाता संख्या 204 के आराजी खसरा नंबर हाल आराजी खसरा नम्बर 2338 रकबा 0.28 है0, 2339 रकबा 0.25 है0, 2340 रकबा 0.26 है0, 2341 रकबा 0.20 है0 2344 रकबा 0.23 है0 2345 रकबा 0.22 है0 2364 रकबा 0.12 है0 3204 रकबा 0.02 है0 3205 रकबा 0.24 है0 3206 रकबा 0.29 है0 3207 रकबा 0.20 है0 3208 रकबा 0.22 है0 3209 रकबा 0.17 है0 3210 रकबा 0.17 है0 किता 14 कुल रकबा 2.87 है0 वाकै ग्राम उदावाला तह0 शाहपुरा जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में रामलाल पुत्र जीवन हिस्सा 1/4 का नाम हजफ किया जाकर इसके स्थान पर वादीगण को बहिस्सा बराबर कर अर्थात छीतरमल पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/8 एवं बंशीधर यादव पुत्र रामनाथ हिस्सा

  
सहायक कलक्टर  
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

1/8 जाति अहीर (यादव) को खातेदार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो।

उक्त निर्णय व डिक्री आज तारीख 7/5/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।



(संजीव कुमार श्रेष्ठ, आर.ए.एस.)  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)  
शाहपुरा, जिला जयपुर  
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शा के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह - व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(संजीव कुमार श्रेष्ठ)  
सहायक कलक्टर  
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.